

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

5261-75

पत्रसंख्या:-एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./एम.सी.टी.एस.-एडमिन इक्सपेंस/2016-17/51-सी/

दिनांक: 25.8.2017

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु 128 जिला अस्पतालों एवं 823 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों (लखनऊ हेतु 03 अतिरिक्त कम्प्यूटर हेतु) में अन्य ऑफिस व्यय (Stationery Support) के 06 माह (01 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक) हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० 2017-18 (ROP F.No. 10(7)/2017-NHM-I Dated 06.06.2017) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 99वीं बैठक दिनांक 30.06.2017 के एजेण्डा मद संख्या 99.70 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अर्न्तगत एफ०एम०आर० कोड संख्या बी15.3.2.12 "अन्य ऑफिस इक्विपमेन्ट्स" हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"Rs 163.50 Lakh @ Rs. 1,000/- per month per District Hospital for 128 District Hospitals and @ Rs. 1,500/- per month per block for 823 blocks. These are indicative rates, final rates are to be arrived at as per DGS & D rate contract or after competitive bidding following Government protocols. This is subject to 100% facility based reporting on HMIS & MCTS/RCH portal and improvement in data quality thereof."

ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों में अन्य ऑफिस व्यय हेतु रु० 1,500.00 प्रति ब्लॉक प्रति माह एवं जिला अस्पताल में रु० 1,000.00 प्रति जिला अस्पताल की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इसके अर्न्तगत एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस०/आर०सी०एच० पोर्टल पर 100 प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु होने वाले अन्य ऑफिस व्ययों के सम्बंध में किया जाना है।

उपरोक्त मानकानुसार जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B15.3.2.12 (Other Office Expenditure)

No.	Districts	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total	Approved for other office expenditure for 823 Block PMU @Rs 1,500/month and 128 DHs @Rs 1000/month for 06 months 01 Apr 2017 to 30 Sep 2017) Amount in Rs.
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= (4+5+6)	Col.8= [(Col.3x1500x6)+ (Col.7x1000x6)]
1	Agra	15	-	1	1	2	147000
2	Aligarh	12	1	1	1	3	126000
3	Allahabad	20	-	2	1	3	198000
4	Ambedkar Nagar	9	1	-	-	1	87000
5	Amethi	13	0	0	0	0	117000
6	JP Nagar	6	-	-	-	0	54000
7	Auraiya	7	-	-	-	0	63000
8	Azamgarh	22	-	1	1	2	210000
9	Bagpat	6	-	-	-	0	54000
10	Bahraich	14	-	1	1	2	138000
11	Ballia	17	-	1	1	2	165000
12	Balrampur	9	-	1	1	2	93000
13	Banda	8	-	1	1	2	84000
14	Barabanki	15	-	1	1	2	147000

No.	Districts	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total	Approved for other office expenditure for 823 Block PMU @Rs 1,500/month and 128 DHs @Rs 1000/month for 06 months 01 Apr 2017 to 30 Sep 2017) Amount in Rs.
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= (4+5+6)	Col.8= [(Col.3x1500x6)+ (Col.7x1000x6)]
15	Bareilly	15	-	1	1	2	147000
16	Basti	14	-	1	1	2	138000
17	Bijnor	11	1	-	1	2	111000
18	Budaun	15	-	1	1	2	147000
19	Bulandshahar	16	1	1	1	3	162000
20	Chandauli	9	-	1	-	1	87000
21	Chitrakoot	5	1	-	-	1	51000
22	Deoria	16	-	1	1	2	156000
23	Etah	8	-	1	1	2	84000
24	Etawah	8	-	1	1	2	84000
25	Faizabad	11	-	1	1	2	111000
26	Farrukhabad	7	-	1	1	2	75000
27	Fatehpur	13	-	1	1	2	129000
28	Firozabad	9	1	1	1	3	99000
29	G B Nagar	4	1	-	-	1	42000
30	Ghaziabad	4	1	1	1	3	54000
31	Ghazipur	16	-	1	1	2	156000
32	Gonda	16	-	1	1	2	156000
33	Gorakhpur	19	-	1	1	2	183000
34	Hamirpur	7	-	1	1	2	75000
35	Hapur	4	-	-	-	-	36000
36	Hardoi	19	-	1	1	2	183000
37	Hathras	7	1	-	1	2	75000
38	Jalaun	9	-	1	1	2	93000
39	Jaunpur	21	-	1	1	2	201000
40	Jhansi	8	-	1	1	2	84000
41	Kannauj	8	1	-	-	1	78000
42	Kanpur Dehat	10	1	-	-	1	96000
43	Kanpur Nagar	10	-	2	1	3	108000
44	Kasganj	7	-	1	-	1	69000
45	Kaushambi	8	1	-	-	1	78000
46	Kushinagar	14	1	-	-	1	132000
47	Lakhimpur Kheri	15	-	1	1	2	147000
48	Lalitpur	6	-	1	1	2	66000
49	Lucknow* (+3 Block)	11	1	1	2	4	123000
50	Maharajganj	12	1	-	-	1	114000
51	Mahoba	4	1	-	1	2	48000
52	Mainpuri	9	-	1	1	2	93000
53	Mathura	10	-	1	1	2	102000
54	Mau	9	1	-	-	1	87000
55	Meerut	12	-	1	1	2	120000
56	Mirzapur	12	-	1	1	2	120000
57	Moradabad	8	-	1	1	2	84000
58	Muzaffarnagar	9	-	1	1	2	93000
59	Pilibhit	7	-	1	1	2	75000
60	Pratapgarh	17	-	1	1	2	165000
61	Rae Bareli	18	-	1	1	2	174000
62	Rampur	6	-	1	1	2	66000
63	Saharanpur	11	-	1	1	2	111000
64	Sambhal	8	-	-	-	-	72000

No.	Districts	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total	Approved for other office expenditure for 823 Block PMU @Rs 1,500/month and 128 DHs @Rs 1000/month for 06 months 01 Apr 2017 to 30 Sep 2017) Amount in Rs.
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7= (4+5+6)	Col.8= [(Col.3x1500x6)+(Col.7x1000x6)]
65	Sant K Nagar	9	-	-	-	0	81000
66	S Ravidas Nagar	6	-	1	-	1	60000
67	Shahjahanpur	15	-	1	1	2	147000
68	Shamli	5	-	-	-	-	45000
69	Shrawasti	5	-	-	-	0	45000
70	Siddharth Nagar	14	1	-	-	1	132000
71	Sitapur	19	-	1	1	2	183000
72	Sonbhadra	8	1	-	-	1	78000
73	Sultanpur	13	-	1	1	2	129000
74	Unnav	16	-	1	1	2	156000
75	Varanasi	8	-	3	1	4	96000
	Total	823	19	56	53	128	8175000
रु० 81,75,000.00 (रु० इक्यासी लाख पचहत्तर हजार मात्र)							

अतः उपरोक्त दी गयी फांट के अनुसार "अन्य ऑफिस व्यय" हेतु धनराशि रु० 81,75,000.00 (रु० इक्यासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त 823 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों एवं 128 जिला अस्पतालों हेतु जनपदों को अवमुक्त की जा रही हैं। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच०एम०आई०एस०/एम०सी०टी०एस० मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ०एम०आर० कोड संख्या बी15.3.2.12 से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:-एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./एम.सी.टी.एस.-एडमिन इक्सपेन्स/2016-17/51-सी/

तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0-एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक (एम0आई0एस0)